

संख्या-

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग

/

दिनांक:

, 200.

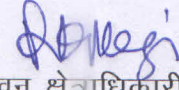
वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डूंगरा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं तक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

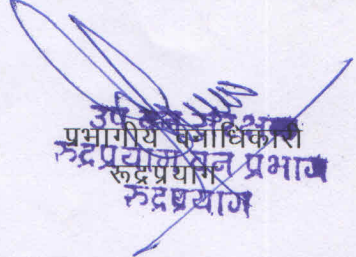
मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.2800 हे० सिविल/आरक्षित/वन पंचायत/नाप भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक, कम्पाटिमेन्ट , खसरा सं०	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग	
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक		
1	आरक्षित	—														
2	सिविल															
	योग															
3	नाप भूमि	—														
	योग	—														
	कुल योग															

उपरोक्तानुसार गणना किये गये शून्य वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
खांकरा रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

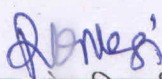

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

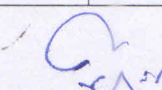
परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डूंगरा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं तक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले भूमि पर वृक्षों के मुल्यांकन की गणना निम्नानुसार की गई।

क्र०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य


वन क्षेत्राधिकारी
खांकरा रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

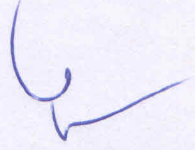

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डूंगरा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं तक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी०

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग।